INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 3 | APRIL – 2024

आरक्षण के सम्बन्ध में शासन की नीतियों का अध्ययन

राकेश कुमार साकेत
शोधार्थी, इतिहास विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. श्रीमती पुष्पा दुबे
सहायक प्राध्यापक इतिहास
राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय, मनिकवार, जिला रीवा (म.प्र.)

सारांश –

भारत के संविधान ने इस उद्देश्य के साथ मशीनरी विकसित की है कि अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सभी संवैधानिक लाभों को पूरी ताकत के साथ क्रियान्वित किया जाए। वास्तव मे, अनुसूचित जातियों के कल्याण की गतिशीलता ने सभी स्तरों पर कल्याणकारी गतिविधियों के प्रभावी समन्वय के लिए एक मजबूत संरचना की माँग की। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यक रिपोर्ट और संविधान के मसौदे दोनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करने का बुद्धिमानी से प्रयास किया है।

मुख्य शब्द – भारत, संविधान, अनुसूचित जातियाँ, संवैधानिक नीति एवं कल्याण ।

प्रस्तावना –

भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की जड़ें अतीत में गहरी हैं। सच है, एक स्वीकृत संवैधानिक नीति के रूप में आरक्षण हिंदू सभ्यता के वृक्ष द्वारा वहन किए गए फल हैं। उच्च जाति द्वारा सामाजिक स्थिति, संपत्ति और शिक्षा के एकाधिकार को बनाए रखने के लिए सदियों से पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था बनाई गई थी। हिंदू परिणाम, संपत्ति, शिक्षा, स्वतंत्रता। निचली जातियों के लोगों को न्याय, प्रगति और समृद्धि से वंचित रखा गया था। जाति – आधारित हिंद समाज के सभी वर्गों से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास क समान अवसर भी छीन लिए गए।

जाति व्यवस्था ने आबादी के कुछ वर्गों को श्रेणीबद्ध रूप से वर्गीकृत विशेषाधिकार प्रदान किए और अन्य लोगों को कई तरह की अक्षमताएं दीं जो पीढ़ी–दर–पीढ़ी जारी रहीं। विकास और विकास के अवसरों को उच्च जातियों द्वारा नियंत्रित और हड़प लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप दलितों को वंचित किया गया और उनके साथ भेदभाव किया गया, जो मजबूत द्वारा कमजोरों के शोषण और दमन के एक शक्तिशाली संस्थागत पैटर्न का प्रतीक था।

अनुच्छेद 16(4) की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।''

अनुच्छेद 335 ''संघ, या किसी राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियाँ करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।''[1]

''अनुच्छेद 16 के खण्ड (2) के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान, निवास के लिए आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा और नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के मामले में आपवादिक रूप से अनुमति होगी। ''पिछड़े वर्ग'' का प्रयोग ''पिछड़ी जाति'' या ''पिछड़े समुदाय'' के समानार्थक रूप में नहीं किया जाता है। किसी समस्त जाति या समुदाय के सदस्य किसी दिए गए समय में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मानदण्डों के आधार पर पिछड़े हो सकते हैं और इस कारण उन्हें पिछड़ी श्रेणी के रूप में समझा जा सकता है। लेकिन यह इसलिए नहीं कि वे किसी जाति या समुदाय के सदस्य हैं, बल्कि इसलिए कि उनसे एक वर्ग बनता है। साधारण अर्थों में ''वर्ग का आशय कुछेक, एकरूपताओं तथा सामान्य विशेषताओं के कारण समूहबद्ध किए गए लोगों की सदृश श्रेणी से होता है जिसकी पहचान हैसियत, स्तर, व्यवसाय, किसी इलाके में निवास, मूलवंश, धर्म और इसी प्रकार की कुछ अन्य सामान्य विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है।''[2]

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश 1950 (समय–समय पर संशोधित) में यह उल्लेख किया गया है कि हिन्दू अथवा सिख धर्म से अलग किसी धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जा सकता है तथापि अनुसूचित जनजाति के रूप में समझे जाने के लिए कोई धार्मिक रुकावट नहीं है। इस समय आरक्षण केवल जाति तथा जनजाति के आधार पर ही दिया जाता है।

विश्लेषण –

सरकार के सिविल पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण दिए जाने का मुख्य उद्देश्य इन समुदायों के कुछ व्यक्तियों को नौकरियाँ देना और इससे सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना ही नहीं है, यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण, तत्काल लक्ष्य रहा था बल्कि इन लोगों को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से ऊपर उठाना और समाज में इनके लिए कुछ स्थान बनाना है। यह ''आरक्षणों'' का अपेक्षतया आर्थिक महत्वपूर्ण उद्देश्य था और आरक्षण विधान मंडलों में भी लागू किए गए, इसी उद्देश्य से संविधान ने राज्य की नीति के निदेशात्मक सिद्धांतों में और अन्यत्र कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास पर विचार किया था।[3]

आरक्षण की स्थिति का अध्ययन :–

आरक्षण के समूचे तंत्र को शामिल करने वाले संविधान के संगत अनुच्छेद निम्नानुसार है [4] :–

(1) सभी मामलों में अर्हताओं का निम्नतम स्तर निर्धारित किया जाएगा और आरक्षण इस व्यापक शर्त पर किये जाएंगे कि निर्धारित योग्यताओं वाले और उक्त नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त अपेक्षित समुदायों के उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए काफी संख्या में मिल रहे हैं।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमाओं में तीन वर्ष की वृद्धि की जाएगी और उनके मामले में किसी परीक्षा में बैठने या चयन में भाग लेने के लिए निर्धारित शुल्क का एक चौथाई ही लिया जाएगा।

(3) इन आदेशों के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का सदस्य तभी माना जाएगा जबकि वह संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के अंतर्गत ऐसी जाति या जनजाति से सम्बधित हैं जिसे उस क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित किया गया है, जहाँ और/या उसका परिवार साधारणतया रहता है। इन आदेशों के प्रयोजनों के लिए भाग 'ग' राज्यों और भाग 'घ' क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों की घोषणा करने संबंधी हिदायतों को अलग से जारी किया जाएगा।

(4) संविधान की पहली अनुसूची के भाग 'ग' के राज्यों में पदों और सेवाओं सहित, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सभी सेवाओं पर ये आदेश लागू हैं और उन्हें 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ माना जाएगा।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय से जारी पत्र क्रमांक 42/21/49 एन.जी.एस. के माध्यम से भारत में संविधान के लागू होने से पूर्व दिनांक 13.9.1950 को भारत में होने वाली खुली प्रतितियोगिता के माध्यम से भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित थे। इसी प्रकार कुछ पद आंग्ल भारतीयों के लिये भी 14 अगस्त 1947 के पूर्व भी आरक्षित थे। खुली प्रतियोगिता को छोड़कर शेष भर्तियों में अनुसूचित जातियों के लिए 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत आरक्षण था।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण व्यवस्था में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों थी। परिस्थितियों के आधार पर आरक्षण अधिनियमों में समय–समय पर कुछ संशोधन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकतानुसार किये जाते रहते हैं, जिन्हें निम्नानुसार वर्णित किया गया है[5] –

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 4.1.1957 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिये पदोन्नति में विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में क्रमशः 12.5 प्रतिशत एवं प्रतिशत पद आरक्षित किये गये।
- दिनांक 8.11.1963 को भारत सरकार द्वारा जहाँ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नई भर्ती नहीं थी, उन पदों में भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये पदों का आरक्षण किया गया।
- भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.7.1968 को जहाँ पर सीधी भर्ती 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होती वहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में आरक्षण सुनिश्चित किया गया।
- दिनांक 27.11.1972 के वरिष्ठ के आधार पर पदोन्नति के सम्बंध में भारत सरकार के द्वारा निर्देश दिये गये हैं, जिसमें सीधी भर्ती की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक न हो।
- दिनांक 20.7.1974 को पुनः पदोन्नति से आरक्षण के सम्बंध में निर्देश जारी किये गये हैं।
- दिनांक 25.2.1976 को पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के सम्बंधों में निर्देश दिये गये है, जिनमें सीधी भर्ती की मात्रा 66 सही 2 बटे 3 प्रतिशत से अधिक न हो।
- इसी प्रकार दिनांक 28.1.1952 को अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षित सीट को अग्रसित किये जाने हेतु बताया गया है। इसी संदर्भ में दिनांक 1.7.1955 एवं 25.3.1970 को पुनः सरकार द्वारा पत्र जारी कर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
- अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षित पदों के रिक्त रहने पर उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच अदला–बदली (आपस में बदलने) के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 7.5.1955, 24.9.1962 एवं 25.3.1970 को निर्देश जारी किये गये थे।
- दिनांक 13.9.1950 को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को 12.5 एवं 5 प्रतिशत जारी की जाकर आरक्षण दिया गया था, जिसे दिनांक 25.7.1970 को संशोधित कर 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत क्रमशः किया गया।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रतियोगी परीक्षाओं की सीधी भर्ती में दिनांक 25.7.1970, विभागीय प्रतियोगिता में दिनांक 23.12.1970, योग्यता परीक्षाओं के साथ वरिष्ठता के सम्बंध में दिनांक 21.7. 1977 को एवं योग्यता क्रम परीक्षा द्वारा निर्धारित होने पर पदोन्नति के सम्बंध में दिनांक 19.4.1979 को निर्देश जारी किये गये है।

मध्यप्रदेश आरक्षण अधिनियम 1944 :–

दिनांक 3 जून, 1994 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति 'मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 8 जून, 1994 को प्रथम बार प्रकाशित हुआ। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम निर्मित किया

गया। भारत गणराज्य के 45 वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम को निर्मित किया गया।

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ :–

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 है। इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा।

परिभाषाएँ :–

किसी स्थापन में किसी सेवा या पद के संबंध में, ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारीः–

''स्थापन'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार का या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अधिनियम के अर्थात् किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का या किसी विश्वविद्यालय का या किसी ऐसी कम्पनी, निगम या किसी सरकारी सोसायटी का, जिसमें समादत्त, अंशपूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित है या किसी संस्था का जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान या नकद अनुदान प्राप्त कर रही है, कोई कार्यालय और उसके अंतर्गत ऐसा स्थापना आता है, जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है और ऐसा स्थापन जिसमें आकस्मिक नियुक्तियाँ की जाती है किन्तु इसमें संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन आने वाले स्थापन सम्मिलित नहीं है।[6]

''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण अभिप्रोत है।

लोक सेवाएं तथा पद :–

इससे अभिप्रेत है स्थापन के किसी कार्यालय में भी सेवाएं तथा पद आदि।[7]

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नानुसार आरक्षण रखा जाएगा :–

प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के पदों में राज्य स्तर पर किसी भारती के वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिशत[8] –

अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	14 प्रतिशत

प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के पदों में राज्य स्तर पर किसी भर्ती के वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिशत :–

अनुसूचित जाति	12 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	32 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	14 प्रतिशत

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 :–

प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को लोक सेवा और पदों पर आरक्षण सुनिश्चित करने के लिये ''मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों

और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994'' जारी किया गया और 1 जुलाई, 1994 से प्रभावशील है, जारी किया गया।

यह अधिनियम अन्य स्थापनाओं के साथ ही प्रवेश के विश्वविद्यालय स्थापनाओं पर भी लागू है, क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 2 (ख) निम्नानुसार है :–

''(ख) ''स्थापन'' :–

स्थापन से अभिप्रेत है राज्य सरकार का या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिरण या कानूनी प्राधिकरण का या किसी विश्वविद्यालय का या किसी ऐसी कम्पनी, निगम या किसी सहकारी सोसाइटी का, जिसमें समादत्त अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित है, कोई कार्यालय और उनके अंतर्गत ऐसा स्थापना आता है, जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकत निधि से भुगतान किया जाता है।'' अतः इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन विश्वविद्यालयों के स्थापना में सुनिश्चत किया जाए।[9]

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 1996 :–

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 9 सितम्बर, 1996 को वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक में मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 1996 पर विचार किया गया। विचारोपरान्त समिति की अनुशंसा अनुसार शासन द्वारा निर्णय लिया गया।

म.प्र. शा.सा.वि.क्र. एफ 6/34/95/आ.प्र./एक दिन 3.2.191797–

जिन अशासकीय अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं को, उसके कुल वार्षिक व्यय का कम से कम 51 प्रतिशत या इससे अधिक राज्य शासन से वित्तीय सहायता/अनुदान दिया जाता है, ऐसी संस्थाओं पर भी मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के समान आरक्षण प्रभावशील होगा। इसके लिये संबंधित विभाग द्वारा अनुदान संबंधी नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाय, शासन के ध्यान में यह बात लाई गई कि कुछ अनुदान प्राप्त संस्थाओं में केवल उसी स्थापना में आरक्षण का लाभ दिया जाता है, जिसके लिये शासकीय अनुदान प्राप्त होता है। अन्य स्थापनाओं में यह लाभ नहीं दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षण अधिनियम के पालन के लिये संस्था एक इकाई के रूप में माना जायेगा तथा आरक्षण नियम, संस्था के अधीन समस्त स्थापनाओं के लिये लागू होगा, यदि अनुदान कुल व्यय का 51 प्रतिशत या उससे अधिक हो, तथा अनुदान नियमों में यह भी प्रावधान कर लिया जाये कि आरक्षण की परिधि में आने वाली संस्थाओं द्वारा यदि आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उन्हें राज्य की निधि से प्राप्त वित्तीय सहायता/अनुदान भी बंद कर दिया जायेगा।[10]

निगमों, आयोगों में आरक्षण :–

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 2091–2500/1 (3) – 64, दिनांक 10 नवम्बर, 1994 के द्वारा।

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 4(2) के अधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये निर्धारित आरक्षण के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों में 14 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 10 नवम्बर, 1964 के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति के लिये निर्धारित शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा और निर्धारित अर्हता वही रहेगी जो सामान्य अभ्यर्थी के लिये निर्धारित की गई है, परन्तु जब कोई परीक्षा/साक्षात्कार लिया जाए तो इन आरक्षित प्रवर्ग की जातियों के अभ्यर्थियों के चयन

के लिये मूल्यांकन का स्तर सामान्य अभ्यर्थी के लिये निर्धारित स्तर के निचले स्तर का हो। सामान्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये चयन हेतु मूल्यांकन सामान्य अभ्यर्थी के लिये निर्धारित न्यूनतम स्तर 10 प्रतिशत कम निर्धारित किए जाये।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 10 नवम्बर, 1964 में निहित निर्देशों के अधीन जिस प्रकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को भी दिया जाये।[11]

आरक्षण अनुबंधों को पालन करने पर दण्ड :–

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 क्रमांक 21 सन् 1994) 1 जुलाई, 1994 से प्रभावशील किया गया है। इस अधिनियम की प्रति आपको विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ–/25/94/1/आप्र दिनांक 30–6–94 द्वारा प्रेषित की गई है तथा इसका प्रकाशन म.प्र. असाधारण राजपत्र दिनांक 8 जून, 94 में हो चुका है। अधिनियम की धारा 5 (1) में नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी की इस अधिनियम को उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित दायित्व है। अधिनियम की धारा 6 (1) में प्रावधान है कि– ''कोई नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ऐसी रीति में जानबूझकर कार्य करता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों का उल्लंघना करने या उन्हें विफल करने के लिये आशयित है, तो वह दोष सिद्धि पर कारावास से, जो तीन मास का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।''

चयन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के सदस्य होने के सम्बंध में :–

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षरण) अधिनियम, 1994 की धारा 8 में 'चयन समिति में प्रतिनिधित्व' शीर्षक के अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान म.प्र. शा.प्र.वि.क्र. ए.7.5. 941 आ.प्र. दिनांक 7.11.1999 को राज्य सरकारें, आदेश द्वारा चयन/छानबीन या पदोन्नति समिति में चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जहाँ ऐसी समिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के, लोक सेवा या पद पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिये व्यक्ति का चयन करने के प्रयोजन के लिये या तो सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाती है, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति में जैसा वह आवश्यक समझे, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों का नाम निर्देशन करने के लिये उपबंध कर सकेगी।''

प्रत्येक विभाग के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के एक सदस्य को अधिनियम के उक्त प्रावधान के अनुसार आवश्यक सम्मिलित किया जाए यह कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित पदोन्नति समिति की बैठक आहूत करने वाले प्रशासनिक विभाग की होगी।[12]

विज्ञापन में ''सामान्य'' शब्द के स्थान पर ''अनारक्षित'' शब्द का प्रयोग :–

म.प्र.शा., सा.प्र.वि.क्र.ए. 7.9.1999 अं प्र. एक दिनांक 12.5.1995 जुलाई 1994 से प्रभावशील मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कोड पर जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 13 के अंतर्गत आरक्षण नियम, 1998 बनाये गये हैं, जो दिनांक 23 अप्रैल, 1998 को म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित है।

इन नियमों में आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के अतिरिक्त सामान्य वर्ग का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अधिकांश विभागों की यह धारणा है कि अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण देने के बाद बाकी पद सामान्य वर्ग के लिये है, तथा इन पदों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत माना जाता है, यह सही नहीं है। सेवाओं में भर्ती या पदोन्नति के समय जो पद आरक्षित नहीं है वे अनारक्षित माने जाने चाहिये।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि भर्ती के विज्ञापन और शासकीय कार्य में ''सामान्य वर्ग'' का प्रयोग नहीं किया जाय। केवल ''अनारक्षित'' शब्द का ही प्रयोग किया जाय।[13]

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण) अधिनियम के अनुपालन में स्थापना संपर्क अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में –

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1004 की धारा 16 में उल्लेखित है कि प्रत्येक स्थापना में इस अधिनियम के उपबंध के क्रियान्वयन के संबंध में संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभाग के प्रथम वर्ग के अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी को संपर्क अधिकारी निर्देशित करेंगे। यह अधिकारी संबंधित विभाग में आरक्षण अधिनियम के पालन के संबंध में जानकारी रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की निर्धारित प्रतिशत अनुसार आरक्षण का लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं यह अधिकारी राज्य शासन तथा अपने विभाग के मध्य संपर्क अधिकारी का भी कार्य करेगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान –

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लोक सेवा एवं पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मंशा से भारत सरकार द्वारा संविधान में 81वें संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 16 (4–ख) में किये गये प्रावधान तथा 82वें संशोधन के तहत संविधान के तहत अनुच्छेद 335 में जोड़े गये परन्तुक के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 19 सन् 2002) अधिनियम कर दिनांक 13–5–2002 से प्रभावशील किया गया है।[14]

आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 5 (दो) (एक) :–

(2) आरक्षण –

(अ) राज्य स्तर पर :–

दिनांक 13–5–2002 से प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के पदों में राज्य स्तर पर किसी भर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित आरक्षण प्रतिशत निर्धारित किया गया है:–

(1) अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
(2) अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत
(3) अन्य पिछड़े वर्ग	14 प्रतिशत

(ब) जिला स्तर पर :–

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7–85–98–आ.प्र.–एक, दिनांक 25 अक्टूबर, 2000 द्वारा जिलेवार आरक्षण प्रतिशत निर्धारित किया गया है, वह जिला स्तरीय संवर्गों के लिये लागू रहेगा। इसके आधार पर विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ–6–1/2002/आ.प्र.–एक, दिनांक 28 अगस्त, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन कर नियमों की अनुसूची–तीन में नया जिला आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है।[15]

आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 14–क :–

(7) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण :–

प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले नियुक्ति आदेश पर एक प्रमाण–पत्र इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 6 (1) :–

(6) शास्ति का प्रावधान :–

कोई नियुक्ति प्राधिकारी जिसे धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ऐसी रीति में जानबूझकर कार्य करता है, जो उस अधिनियम के प्रयोजनों का उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के लिये आशयित है या धारा 14–क के निबंधों के अधीन मिथ्या प्रमाण–पत्र का पृष्ठांकन करता है, नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसा कृत्य उस पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जाएगा और ऐसे अवचार के लिये उक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियों के साथ–साथ सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा अभियोजित किए जाने का दायी होगा और वह दोषसिद्धि कर कारावास से जो एक वर्ष तक को हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।[16]

लोक सेवा एवं पदों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण :–

रोस्टर :–

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1998 अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एक 6–1/02/आ.प्र./एक, दिनांक 28 अगस्त, 2002 द्वारा जारी संशोधित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार सभी पदों/संवर्गों के लिये राज्य स्तर पर की जाने वाली भर्ती के लिये अनुसूची 'एक' एवं अनुसूची 'दो' तथा जिला स्तर पर की जाने वाली भर्ती के लिये अनुसूची 'तीन' में नये रोस्टर जारी किये गये हैं।

रोस्टर के संधारण की प्रक्रिया :–

प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पृथक–पृथक पदों/संवर्गों के लिये संवर्ग में स्वीकृत कुल स्थाई/अस्थाई पदों के विरुद्ध कार्यरत लोक सेवकों को सम्मिलित करते हुए रोस्टर बनाये जाएँ पद/संवर्ग में कार्यरत समस्त लोक सेवकों के नाम इस ज्ञाप के संलग्न परिशिष्ट– 'एक', 'दो' एवं 'तीन' (जो भी लागू हो) में दर्शित रोस्टर में उनके निर्धारित बिंदुओं (अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग) के सामने पद/संवर्ग में नियुक्त वरिष्ठतम लोक सेवक से प्रारम्भ करते हुए क्रमशः अंकित किए जाएँ अर्थात् नियमित नियुक्तियों के साथ–साथ अनुकम्पा/विशेष अनुकम्पा, दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ के नियमितीकरण/संविधान द्वारा नियुक्ति प्राप्त लोक सेवक जिस प्रवर्ग का होगा उसे रोस्टर में उसी प्रवर्ग के लिये निर्धारित बिन्दु के समझ दर्शाया जाए। रोस्टर के जो बिन्दु अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित है, उसके विरुद्ध यदि इस प्रवर्ग के व्यक्ति कार्यरत नहीं है, तो उस बिन्दु को रिक्त दर्शाया जाए (जैसे रोस्टर का बिन्दु क्रमांक 2 अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित है किन्तु इस बिन्दु के विरुद्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त कर नियुक्त इस प्रवर्ग का लोक सेवक कार्यरत नहीं है, तो इस बिन्दु को अनुसूचित जनजाति के लिये रिक्त दर्शाया जाय।) आरक्षित प्रवर्ग के जो लोक सेवक अपनी योग्यता (मेरिट) के आधार पर चयनित हुये हैं, उनके नाम आरक्षित बिन्दुओं के विरुद्ध नहीं दर्शाये जाएँ।[17]

1.अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण दिनांक 17–12–1993 से लागू किया गया है। अतः उक्त तिथि या इसके बाद से नियुक्त जो लोक सेवक अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्त हुये हैं, उनके नाम नवीन रोस्टर में उनके लिये आरक्षित बिन्दुओं के सामने दर्शाये जायें।

आरक्षण अधिनियम में संशोधन :–

दिनांक 11.1.2010 को मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्र क्र.एफ 6–1–2002–आप्र.– एक :–

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है।

उक्त नियमों में, नियम 4–ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्, **"4–ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध :–**

यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर में सहारिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर, में बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये आवेदन करता है, और विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा।"[18]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं निःशक्तजनों के बैकलॉग/कैरीफॉरवर्ड के लिए विशेष अभियान :–

राज्य शासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 दिनांक 11 जून, 2002 को अधिसूचित किये हैं जिसमें समस्त श्रेणी के पदों में अनुसूचित जाति के लोक सेवकों के लिए 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही, यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी स्थिति में आरक्षित प्रवर्ग की किसी रिक्ति को किसी अन्य प्रवर्ग की पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जाएगा।

राज्य शासन को विभिन्न विभागों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके यहाँ के कुछ संवर्गों में फीडर केडर में अनुसूचित जाति/जनजाति के शासकीय सेवक उपलब्ध नहीं होने के कारण इन प्रवर्गों के बैकलॉग/कैरीफावर्ड पदों को अगले 5–6 वर्षों तक पदोन्नति से भरा जाना संभव नहीं है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि विभिन्न विभागों में पदोन्नति के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कैरीफारवर्ड/बैकलॉग के पदों, जिन्हें फीडर कैडर में संबंधित आरक्षित प्रवर्ग का शासकीय सेवक उपलब्ध नहीं होने के कारण 5–6 वर्षों तक भरा जाना संभव नहीं है, को नीचे दर्शायी गई शर्तों के अध्यधीन सीधी भर्ती से भरने की कार्यवाही की जाये :–

(1) यह योजना केवल उन्हीं पदों पर लागू होगी, जिनमें फीडर कैडर में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी शासकीय सेवक उपलब्ध नहीं है।
(2) यह छूट केवल एक बार के लिए होगी।
(3) इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कैरीफारवर्ड/बैकलॉग के कुल पदों में से केवल 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जा सकेंगे।
(4) यह योजना, केवल रुपये 10,000–15,200 के वेतनमानों तक के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर लागू होगी।
(5) सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अनुभव एवं आयु सीमा, विभाग अपनी आवश्यकतानुसार एवं संवर्गीय प्रबंधन को ध्यान में रखकर निर्धारित करेंगे।
(6) ऐसे बैकलॉग/कैरीफारवर्ड रिक्त पदों में से जो पद लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आते हैं, उनकी पूर्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी तथा शेष पदों की पूर्ति नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया अपनाकर की जायेगी।
(7) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले ऐसे पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले शासकीय सेवक भी आवेदन कर सकेंगे।
(8) पदोन्नति के उपरोक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए, विभागीय भर्ती नियमों के नियम 6 (4) में अपेक्षित, सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति, एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।[19]

निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान तथा आरक्षण :–

राज्य के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए 'दीनदयाल समर्थ योजना, 2004' लागू की गई है। इस योजना का बिन्दु क्रमांक 1.8 निम्नानुसार है[20] –

1.''निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित 6 प्रतिशत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की गणना की जाकर विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से पदों की पूर्ति की जायेगी।''

2.सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 8–4/2001/आ.प्र./एक, दिनांक 22.11.2002 द्वारा 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर में निःशक्तजनों के लिए 6 बिन्दु निर्धारित किए गए हैं। राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि रोस्टर में निःशक्तजनों के लिए प्रथम आरक्षित पद बिन्दु क्रमांक 16 पर आता है। कई विभागों में, विशेष कर जिला स्तरीय संवर्गों में स्वीकृत पदों की संख्या कम होने के कारण रोस्टर 16वें बिन्दु पहुँच ही नहीं पाता इसलिए निःशक्तजनों को अवसर नहीं मिल पाता है। इस पर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि:–

उपर्युक्त पैरा–2 में उल्लेखित सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 8–4/2001/आ.प्र./एक, दिनांक 22.11.2002 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। निःशक्तजनों के लिए निर्धारित 6 प्रतिशत 'हॉरिजोण्टल' आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार की सेवाओं में लागू तीन खण्ड स्तरीय व्यवस्था राज्य शासन की सेवाओं में भी लागू की जाती है।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः भारत में आरक्षण के संबंध में विभिन्न शासनी नीतियाँ बनाई गई हैं, जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य के साथ समाज में सामान्य और पिछड़े वर्गों के बीच समानता और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं। संविधान के 15वें संशोधन के अंतर्गत, आरक्षित सीटों का प्रतिशत 22.5 से 27 तक बढ़ाया गया। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि हुई। आरक्षण की विविधता के अन्तर्गत आरक्षण नीतियों में विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षित सीटों की विविधता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ओबीसी–एनएसएस, अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जाति की सीटें शामिल हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अन्तर्गत भारतीय सरकार ने आरक्षित क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण की नीतियों को प्रचलित किया है। इसमें नौकरियों में आरक्षित पदों का प्रतिशत और आरक्षित जातियों के लिए आयु सीमा में छूट शामिल है। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण की नीतियाँ हैं, जिसमें आरक्षित सीटों का प्रतिशत और आरक्षित कोटे के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। आरक्षण की अवधारणा का विस्तार के अन्तर्गत सरकार ने अंतिम कुछ वर्षों में आरक्षण की अवधारणा को विस्तारित किया है, जिसमें आरक्षण को आर्थिक आधार पर भी विकसित किया जाता है। उदाहरण के लिए, आरक्षित वर्गों के लिए आर्थिक आधार पर छूट और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये नीतियाँ भारत में आरक्षण के प्रयोग को संचालित करती हैं और सामाजिक समानता और न्याय के प्रति सरकार का आदर्श को संजोए रखती हैं।

संदर्भ –

[1] चन्दर, रमेश – सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण सम्बंधी विवरणिका, वर्ष 1989, पृष्ठ 7

[2] चन्दर, रमेश – सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण सम्बंधी विवरणिका, वर्ष 1989, पृष्ठ 9

[3] चन्दर, रमेश – सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण सम्बंधी विवरणिका, वर्ष 1989, पृष्ठ 6

[4] चन्दर, रमेश – सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण सम्बंधी विवरणिका, वर्ष 1989, पृष्ठ 8

[5] चन्दर, रमेश – सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण सम्बंधी विवरणिका, वर्ष 1989, पृष्ठ 18, 19

[6] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 2
[7] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 3
[8] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 4
[9] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 9
[10] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 10
[11] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 11, 12
[12] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 15
[13] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 17
[14] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 23
[15] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 23, 24
[16] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 25
[17] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 25, 26
[18] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 39
[19] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 44
[20] पराडकर, श्री निवास – म.प्र., छ.ग. आरक्षण, अमर ला पब्लिकेशन्स, इंदौर, संस्करण 2018, पृष्ठ 45